न्याययुक्त, समतामूलक और संपोषणीय भारत के लिए जारी घोषणा पत्र

विकल्प संगम आम सभा के सदस्यों द्वारा (अंत में सूचीबद्ध)

नवंबर 2023

विकल्प संगम एक प्रक्रिया है जहां ऐसे सभी समूहों, व्यक्तियों और प्रयोग कर्ताओं को मंच दिया जाता है जो मनुष्य और स्वस्थ पारिस्थितिकी के लिए न्याय, समता और संपोषण की दिशा में काम कर रहे हैं. यह वर्तमान के विकास के ढांचे को अस्वीकार करता है जिसमें असमानता निर्मित होती है और जिसके मूल में अन्याय है. यह दृष्टिकोण और अभ्यास में विकल्प की खोज करता है. 85 से ज्यादा संस्थाएं और प्रयोगकर्ता इस आम सभा के सदस्य हैं, जिनको लेख के अंत में सूचीबद्ध किया गया है.

और अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे वेबसाइट पर जाएं :
http://www.vikalpsangam.org/about/

सामग्री **पृष्ठ संख्या**

भाग 1 : वादे जो हम करते हैं और हमारी अपेक्षा 2

भाग 2 : किए गए कामों का सार और समीक्षा 4

भाग 3 : क्षेत्र आधारित काम, विस्तार से 8

भाग 4 : युवाओं की मजबूत भागीदारी का एक विशेष दृष्टिकोण 25

विकल्प संगम आम सभा के सदस्य 26

भाग 1 : वादे जो हम करते हैं और हमारी अपेक्षा

हम उस भारत के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं और सभी नागरिकों से प्रतिज्ञा लेने को कहते हैं, जो कि न्याययुक्त, समता मूलक और संपोषणीय हो, वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, साथ में सम्पूर्ण प्रकृति के लिए भी. भारत ऐसा हो जहां :

- जीवन और आजीविका में पूर्णता के साथ व्यस्तता के लिए भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवसरों के द्वारा सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की सुनिश्चितता हो
- लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप में निर्णय प्रक्रिया के द्वारा सीधी भागीदारी के अर्थपूर्ण मार्ग की उपलब्धता हो
- लिंग, जाति, वर्ग, संजाती, धर्म, संतति, क्षमता, लैंगिक रुझान, और ऐसी अन्य किसी पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो
- संस्कृति, ज्ञान और आस्था में विविधता और अनेकवाद का सम्मान हो और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व हो: और
- प्रकृति व पारिस्थितिकीय, जिस पर जीवन निर्भर है, में अन्य सभी का सम्मान हो

सामाजिक संगठन और आन्दोलनकर्ता के रूप में, हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे समाज की स्थापना के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और सामान्य जनता के प्रति जवाबदेह भी रहेंगे. हम सरकारी संस्थानों, व्यवसाय, मीडिया और अन्य से भी ऐसी अपेक्षा करते हैं व इस की मांग करते हैं.

उपरोक्त प्रतिज्ञा की (इससे संबंधित उठाए गए कदम का हम नीचे जिक्र करेंगे), आज के संकटपूर्ण समय, जिसका हम सामना कर रहे हैं, के संदर्भ में अविलंब आवश्यकता है. सामाजिक टकराव और जातीयता या धार्मिक तनाव, असहिष्णुता, असमानता, खराब स्वास्थ्य, सांस्कृतिक धरोहर और विविधता का क्षरण, पारंपरिक ज्ञान और कौशल का ह्रास, और व्यापक परिस्थितिकीय

विध्वंस का एक तूफ़ान सा सब ओर उठ रहा है. इसका मुख्य कारण वर्तमान में हावी आर्थिक विकास का मॉडल है, जिसके अंतर्गत व्यापक औद्योगीकरण और ढांचागत विकास को प्राथमिकता के साथ प्रकृति और सामाजिक संबंधों का वस्तुतिकरण, और मुख्यतः पुरुष वर्चस्व है. सत्ता का बल, धार्मिक अलगाव की भावना भी इसको बढ़ावा देती है, जिस के मूल में सामाजिक असमानता और विभिन्न प्रकार के भेद भाव हैं जिसमें लिंग और जाति भी सम्मिलित हैं. यह रुझान, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पिछले कुछ दशकों में, इन वर्गों द्वारा प्राप्त हुई उन्नति को कमजोर कर रहा है या रोक रहा है. हम महिलाओं, युवाओं, लैंगिक अल्पसंख्यकों, विकलांगता से पीड़ित लोगों, संजातीय समुदायों, उत्पीड़ित जातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, और आमतौर पर मुख्य प्रणाली द्वारा बाहर रखे गए अन्य लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ मानव प्रकृति के अनुकूल न्यायसंगत और समावेशी कल्याण में विश्वास करते हैं.

2019 के बाद जब हमने जन घोषणा पत्र जारी किया था (http://vikalpsangam.org/article/peoples-manifesto-for-a-just-equitable-and-sustainable-india-2019/), तब से उपरोक्त कई संकटों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई है. उदाहरण के लिए, भारत के कई स्वायत्तता वाले क्षेत्रों जैसे कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्व को केंद्रीकृत शासन में लाए जाने की कार्यवाही. अन्य जो सामने दिख रहे हैं, जैसे बढ़ता पारिस्थितिकी विनाश (उदाहरण के लिए जैसे, जोशीमठ का डूबना और जलवायु संकट से संबंधित चरम मौसम की घटनाएं), धार्मिक या जातीय संघर्ष जैसे कि मणिपुर का घटनाक्रम, और यौन हिंसा को माफ किया जाना या राज्य के संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना, जैसा कि बिलकिस बानो के मामले में हुआ.

भारत जिन अनेक संकटों का सामना कर रहा है, इससे निपटने के लिए भारत के संवैधानिक मूल्य और एक सार्थक लोकतांत्रिक और गरिमा पूर्ण समाज के प्रति एक नई प्रतिबद्धता बननी आवश्यक है, जिसके अंतर्गत सभी निर्णयों और कार्यों का केंद्रीय उद्देश्य हो और जिसमें सार्वजनिक योजनाएं भी शामिल हों. इसके लिए समाज के प्रत्येक क्षेत्र में तत्काल अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाने की आवश्यकता है.

मोटे तौर पर हम नीति और कार्यक्रम के स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, भाग 2 में रूपरेखा और भाग 3 में विस्तृत विवरण के साथ भाग 4 में युवाओं से संबंधित विशेष खंड दिया गया है।

विकल्प संगम के लिए संपर्क करें:
KJ Joy, joykjjoy2@gmail.com

Shrishtee Bajpai, shrishtee.bajpai@gmail.com
Yash Marwah, yash@letindiabreath.org
Asmi Sharma, asmixsharma@gmail.com

किए गए कामों का सार और समीक्षा

भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, संस्कृति और पर्यावरण से संबंधित संस्थान, नीतियां और कार्यक्रम के दिशा निर्देश में आधारभूत बदलाव के लिए निम्नलिखित कार्यवाही शामिल हो.

1. **सरकार की सभी बजट नीतियों और कार्यक्रमों में सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर वर्गों को दिया जाना जिनमें जाति, लिंग, लैंगिक रुझान, वर्ग, जातीयता, आस्था, धर्म, नस्ल, क्षमता,विकलांगता, साक्षरता, भौगोलिक स्थिति और ऐसी अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है. सरकार द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर में भी इस प्राथमिकता को सुनिश्चित करना.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या इससे कमजोर लोगों को लाभ हो रहा है, क्या इससे भेदभाव कम हो रहा है?

2. **भारतीय समाज द्वारा सामना की जा रही सकल आर्थिक असमानता से निपटने के लिए मजबूत उपाय जिसमें वेतन स्तर की सीमा, उच्चतम और निम्नतम आय स्तर के अनुपात में महत्वपूर्ण कमी, समृद्धों की आय, संपत्ति और विरासत पर उच्च कराधान, कमज़ोरों के लिए बुनियादी न्यूनतम आय और रोजगार गारंटी शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए पेंशन, और विशाल अवैध अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए कदम जो संसाधनों को उन जगहों से दूर ले जाते हैं जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह आर्थिक असमानता को कम करता है, क्या यह उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है जो वर्तमान में हाशिये पर हैं?

3. **विद्यालयीन स्तर से ही विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, आस्थाओं और जातीयता के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करने और विविधता बनाए रखने के लिए व्यापक प्रसार कार्यक्रम और गलत सूचना, नफरत, और मनमुटाव फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या इससे सद्भाव बढ़ता है, क्या यह सामाजिक संघर्ष, भ्रांतियां और तनाव को कम करता है?

4. **ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र या मोहल्ला सभाओं को संविधान में पहले से ही प्रदान की गई शक्तियों और प्रासंगिक कानूनों के अलावा वित्तीय और कानूनी शक्तियों के साथ सशक्त बनाने वाले निर्णय लेने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण, अपने क्षेत्र में गतिविधियों के लिए ऐसे निकायों की पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रिया सुनिश्चित करना, परिदृश्य स्तरों पर निर्णय लेने वाले मंच, जैसे नदी घाटियों और उप घाटियों, की शुरुआत करना. इसमें युवा, महिलाओं, लैंगिक अल्पसंख्यकों, विकलांग लोगों और कमज़ोर या हाशिये पर रहने वाले वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने और गठित करने के लिए**

आवश्यक कदम उठाए जाएँ, आवश्यक समर्थन के साथ, ना कि किसी 'प्रतिनिधि' द्वारा इन वर्गों का प्रतिनिधित्व हो.

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या इससे सभी लोगों विशेष कर वर्तमान में हाशिये पर पड़े लोगों की सार्थक भागीदारी बढ़ती है?

5. **राज्य के सभी संस्थानों, राजनीतिक दलों, निगमों, वित्तीय संस्थानों, और मीडिया घरानों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर एक व्यापक नीति और कानून और उन कानूनों के प्रावधानों को निरस्त करना जो राज्य की पुलिस और सशस्त्र बलों को कठोर शक्तियां प्रदान करते हैं, लोकतांत्रिक असहमति को दबाने में सक्षम बनाते हैं.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह जनता के लिए पूरी तरह से पारदर्शी है, क्या इससे जवाबदेही बढ़ती है, क्या यह राज्य की बेहिसाब शक्ति को कम करता है?

6. **आजीविका पर एक व्यापक कार्यक्रम जो पारंपरिक और आधुनिक कौशल और ज्ञान को जोड़े, साथ ही सभी योजनाओं और बजट में कृषि (कृषि, पशु चारण, मत्स्य पालन और वानिकी) और शिल्प निर्माण, इन दो सबसे बड़े आजीविका के क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता: इसमें उन सभी उत्पादों और सेवाओं को आरक्षित करना शामिल किया जाए जो लोकतांत्रिक रूप से संचालित उत्पादक सामूहिकता (सहकारी, कंपनी, संघ इत्यादि) की सुविधा जैसे उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदाय आधारित और विकेंद्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा देकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर पर बनाए या उत्पन्न किया जा सकते हैं.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों की आजीविका को बढ़ाता है और सुरक्षित करता है, क्या यह आजीविका के सभी गरिमापूर्ण स्रोतों को सम्मान देता है?

7. **देश की कृषि पारिस्थितिकी और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भूमि/जल उपयोग कार्यक्रम और नीति जिसमें सबसे महत्वपूर्ण**

पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी कार्यों के संरक्षण के लिए कदम हों जिन पर सभी जीवन (गैर मनुष्य के अलावा भी) और उसका हिस्सा सामान्य अन्य, वन्य जीव और जैव विविधता निर्भर हैं; देशभर में भूमि/मिट्टी और जल पुनर्जन्म का एक कार्यक्रम शुरू करना जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन से संपत्तियों के निर्माण करने पर केंद्रित हो; यह सब कानून की मदद से किया जाना जिससे वन अधिकार अधिनियम में पहले से प्रदान किए गए स्थानीय समुदाय के अधिकारों को और सशक्त बनाने और मान्यता दिलवाने में मदद हो, साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता मिले.

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक कार्यों की रक्षा करता है?

8. यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति और कानूनी व्यवस्था हो कि आर्थिक नियोजन द्वारा स्थानीय से राष्ट्रीय, सभी स्तरों पर पारिस्थितिक सीमा के सम्मान की व्यवस्था है. परियोजनाओं, कार्यक्रम, योजना और क्षेत्र के व्यापक पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप, सहभागितापूर्ण विधि से हो; मानव या पशु स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक सभी रसायनों और पदार्थों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए.

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना है और लोगों और वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है, क्या हर किसी के पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए साफ पानी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षित स्थान है?

9. स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, शिक्षण और शिक्षा, पानी, भोजन और ऊर्जा और आजीविका सहित सभी बुनियादी जरूरत के लिए सार्वजनिक समर्थन को प्राथमिकता देने वाले कार्यक्रमों को वर्तमान में आवंटित बजट की तुलना में अधिक बजट आवंटन; सभी खाद्य उत्पादन को कृषि पारिस्थितिकी और सुरक्षित प्रक्रिया में परिवर्तित करने के लिए अभियान, साथ में, छोटे किसानों, चरवाहों, मछुआरों को पूरी सहायता और भूमि, बीज, जल, ज्ञान, और अन्य पर उनका पूर्ण अधिकार; 2030 तक विकेंद्रीकृत

नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अधिकांश ऊर्जा का उत्पादन करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ पारिस्थितिक सीमा के भीतर आवश्यक सामग्री की मांग को पूरा करने के उपाय; हाशिये पर रहे वर्गों को जलवायु संकट और अन्य आपदाओं का सामना करने व अनुकूल होने में मदद करने के लिए कार्यवाही; और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और सुरक्षित करने के लिए तत्काल कार्यवाही जो आवश्यक जीवन कार्यों के लिए पानी के उपयोग को प्राथमिकता.

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह हर किसी की किफायती बुनियादी जरूरत को बढ़ाता, सुरक्षित और सुलभ/वहनीय बनाता है, विशेष रूप से उन लोगों की जो वर्तमान में इससे वंचित हैं, वो भी ऐसे उपायों के द्वारा, जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हैं और जो इनका लोकतांत्रिक, समुदाय आधारित नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं?

10. **शहरी और ग्रामीण बस्तियों को सम्मानजनक, रहने योग्य और टिकाऊ बनाने के लिए कदम, और यथासंभव बुनियादी जरूरत के लिए आत्मनिर्भर बनाने और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूमि, आवास और अन्य सुविधाओं तक पहुंच के पूर्ण अधिकार और गतिशील परिवहन के सार्वजनिक और गैर मोटर योग्य साधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह हर किसी के लिए विशेष रूप से वर्तमान में उपेक्षित लोगों के रहने योग्य बेहतर और टिकाऊ जीवन स्थितियों की ओर ले जा रहा है?

11. **सभी प्रकार की विद्या और शिक्षा की पद्धति बदलने की पहल जो गतिविधि आधारित, आनंद दायक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी संचालित हो (मातृभाषा में सीखने को प्राथमिकता देते हुए), शिक्षार्थियों को स्व-शिक्षण प्रक्रियाओं, आलोचनात्मक सोच, प्रश्न खड़े करने के लिए प्रोत्साहन और आत्म जागरूकता से प्रेरित न्याय और जिम्मेदारियां की नैतिकता को अपने में स्थापित करने में सक्षम बनाए. सांस्कृतिक विविधता और पारिस्थितिकी स्थिरता के प्रति सम्मान, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रासंगिक संशोधन और बच्चों व वयस्कों दोनों के लिए समुदाय आधारित प्रक्रिया शामिल हो. सभी स्तरों पर हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिए और उनसे संबंधित,**

विशिष्ट पाठ्यक्रम जोड़ा जाना चाहिए और विशेष जरूरत वाले लोगों सहित सभी के लिए शिक्षा को पूरी तरह से सुलभ बनाने हेतु संचार के वैकल्पिक तरीकों को खोजना, सक्षम बनाना और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाना चाहिए.

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विशेष कर, वर्तमान में हाशिये पर रहने वाले लोगों के लिए समग्र शिक्षण के अवसर प्रदान कर रहा है?

12. **नवाचार प्रौद्योगिकी और ज्ञान पर एक व्यापक नीति और कार्यक्रम, जो नवाचार की सार्वजनिक और अनौपचारिक प्रक्रियाओं का प्रोत्साहन और समर्थन करते हैं, 'आम' लोगों की रचनात्मकता को मान्यता देते हैं, स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक और सामान्य डोमेन में ज्ञान और सूचना की उपलब्धता को बढ़ावा देते हैं, लोक ज्ञान सहित ज्ञान प्रणाली की विविधता को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं और सभी तकनीकी विकास को सार्वजनिक समीक्षा के लिए सामने रखते हैं जिस से कि न्याय, सुलभता और टिकाऊ की**
लक्ष्य प्राप्ति के प्रति उनकी ज़िम्मेदारी का मूल्यांकन हो सके.

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह ज्ञान और प्रौद्योगिकी को और अधिक लोकतांत्रिक और सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाता है?

13. **सभी के स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक व्यापक नीति और प्रासंगिक कार्यक्रम, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इसके अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों के समन्वित उपयोग, स्वास्थ्य के अन्य मानकों का जोड़ (भोजन, सामाजिक मानसिक और शारीरिक वातावरण, शिक्षा आदि), सामुदायिक प्रशासन और नियमित जांच शामिल है;**
सार्वजनिक क्षेत्र सभी तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% इसके लिए आवंटित हो।

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह सभी के लिए स्वास्थ्य की अनुकूल स्थिति संभव कर पा रहा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वर्तमान में स्वस्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं?

14. **कला क्षेत्र (दृश्य और प्रदर्शन) की लोकतांत्रिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार हों और जहां कहीं जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव अंतर्निहित है उसे हटाने की पहल हो. कला को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए और इस को प्रोत्साहित करने वाले सार्वजनिक संस्थानों को स्वतंत्र निकाय में परिवर्तित करने की पहल हो.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या कला इस तरह से फल-फूल रही है कि यह सबके लिए सहज सुलभ हुई है.

15. **मानवाधिकार, शांति और नि:शस्त्रीकरण,और पारिस्थितिकी ज्ञान के पुरोधा के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से स्थापित करने के लिए कदम जिसमें संयुक्त राष्ट्र का पुनरुद्धार और वैश्विक निर्णय देने के लिए लोगों की लोकतांत्रिक पहुंच का समर्थन करना और व्यापार और अन्य आर्थिक समझौते मानवाधिकार और पर्यावरण समझौतों के अधीन करने की वकालत करना शामिल है.**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह वैश्विक शांति, सह-अस्तित्व और न्याय को बढ़ाता है? क्या यह वैश्विक निर्णय में लोगों और समुदाय की आवाज को पहुंचाने में सफल हुआ है?

16. **उपरोक्त सभी में भारत के युवाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, लैंगिक अल्पसंख्यकों, दलित, आदिवासियों और हाशिये पर पड़े और कमजोर वर्ग के अन्य लोगों के सशक्तिकरण और सुविधा पर विशेष ध्यान दें, और उनकी अपनी आवाज को वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करने में सक्षम बनाएं. (कृपया युवाओं पर भाग 3 देखें)**

प्रत्येक सार्वजनिक कार्यवाही का आकलन: क्या यह युवाओं, महिलाओं और अन्य हाशिये पर पड़े लोगों, और अन्य कमजोर लोगों को बेहतर न्याय और आत्मनिर्णय के लिए सशक्त बनाता है?

भाग 3 : क्षेत्र आधारित काम, विस्तार से

समाज, संस्कृति, और शांति

भारत धार्मिक और जातीय संघर्ष और सहिष्णुता के खतरनाक प्रसार का सामना कर रहा है और सांस्कृतिक विविधता और सह-अस्तित्व पर आधारित इसकी सहस्त्राब्दियों पुरानी सभ्यता गंभीर खतरे में है. जबकि पिछले कुछ दशकों में हाशिये पर पड़े लोगों की आवाज़ को मजबूत करने, असमानता में कमी लाने, और लिंग, जाति, जातीयता और अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव में बहुत कुछ हासिल किया गया है, इनमें हिंसा और भेदभाव के कारण बने ही हुए हैं जो विषाक्त तरीकों से उपरोक्त में मिश्रित हो रहे हैं. संपोषण, सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान को प्रोत्साहित करने और असमानताओं और भेदभाव को दूर करने के निरंतर प्रयास की बजाय, राज्य इन प्रतिगामी रुझानों को प्रोत्साहित कर रहा है. यहां तक कि हाल के दिनों में उसने यौन हिंसा को भी नजरअंदाज या प्रोत्साहित किया है. हालांकि कई सार्थक पहल सामने हैं, जिनमें से कुछ को राज्य सरकारों का समर्थन भी है जिसमें संवाद, संघर्ष समाधान और सह अस्तित्व की पुनः स्थापना के प्रयास हैं, जिस से जुड़कर लोगों में समझ विकसित हो सकती है. इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता हैं:

असमानता, असमता, और विभिन्न प्रकार के भेदभावों को दूर करना जिसमें जाति, लिंग, लैंगिक पसंद, वर्ग, जातीयता, आस्था, धर्म, नस्ल, क्षमता, विकलांगता, साक्षरता, स्थान और ऐसी अन्य विशेषताएं शामिल हैं व सभी के सम्मानजनक जीवन के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना; इसमें भारत के कई संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों का मजबूत कार्यान्वयन शामिल है जो ऐसे प्रयासों को अनिवार्य बनाये, परन्तु समाज के उन वर्गों के लिए इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा जिन्हें पहले से ही कई प्रकार से विशेष अधिकार प्राप्त हैं. समधर्मी परंपराओं और प्रथाओं का प्रोत्साहित करना जो सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं जैसे विभिन्न आस्था वाले लोगों द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले त्योहार;

ऐसी पहल को सशक्त करें जिसका उद्देश्य विभिन्न जातीयता, धर्म, संस्कृति, भाषा, आस्था और विचारधारा के समुदायों के बीच सद्भाव और पारस्परिक सम्मान को बनाए रखना और प्रोत्साहित करना हो (जैसे कि विभिन्न त्योहारों में सामूहिक अंतर-सामुदायिक उत्सवों को प्रोत्साहन देना), और उन लोगों के खिलाफ तुरंत कदम उठाएं जो नफ़रत, असहिष्णुता, ग़लत जानकारी का माध्यम बनते हैं या प्रोत्साहित करते हैं;

बचपन से ही स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों में समुदायों के बीच साझा उत्सव और आयोजनों को प्रोत्साहित करके विविधता और बहुलता के लिए जागरूकता और सम्मान को पैदा करें;

एक व्यापक कानून बनाया जाए जो गैर पक्षपात और समानता के लिए हो जिससे सामाजिक भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ समान अवसर और संरक्षण सुनिश्चित हो.

गायब हो रही भाषाओं और बोलियों को संभालने या पुनर्जीवित (जरूरत पड़ने पर) करने के लिए, अंतर-पीढ़ी व सीखने-सिखाने के अन्य माध्यमों में संभाषण को सुगम करने के लिए, स्कूलों या अन्य शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए, ऐसी भाषाओं का आधिकारिक कार्यक्रमों में उपयोग के लिए, ऐसी भाषाओं और बोलियों के शब्दकोश और शब्दावली (जहाँ उपयुक्त हो) के निर्माण के लिए और इस सबके लिए संवैधानिक और नीति विधान में प्रावधान जोड़ने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं;

केवल 6 धर्मों को जनगणना में शामिल करने का निर्णय वापस लिया जाए, और उसके बजाय सभी धर्मों, चाहे कितना भी छोटा हो, की पहचान और मान्यता को शामिल किया जाए; साथ ही जातियों पर जनगणना को वापस शामिल करें ताकि संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के सही अमल को सुनिश्चित किया जा सके;

इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कलाएं (दृश्य, प्रस्तुति, आदि), जो गायब हो रही हैं, उनके संचालन या पुनर्जीवन के लिए तत्काल कदम उठाएं, सरकार द्वारा शुरू किये गए संस्थानों को सार्वजनिक निधियों से वित्तपोषित स्वतंत्र निकायों में बदलने के लिए कदम उठाए जाएं;

समुदायों के बीच समझौते और शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, विवादों के समाधान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से तनाव और विवाद के क्षेत्र, अंतर-समुदाय समझ और संवाद के मंच को प्रोत्साहित किया जाए;

बचपन से ही जेंडर शिक्षा को शामिल करके, गाँवों और शहरी मोहल्लों में जेंडर समानता और सम्मान के लिए वार्ता मंच बनाकर, देखभाल के कार्य और अन्य अवैतनिक श्रम की पहचान करके, महिलाओं को नगरीय और ग्रामीण योजना निर्माण में शामिल करके, भौतिक उपाय

यानी कि सड़कों पर अच्छी रोशनी, सार्वजनिक / निजी शौचालय, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, और सुरक्षित साइकिल / पैदल पथों, जैसे कदमों के माध्यम से यौन हिंसा के विरुद्ध, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करें;

सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से जेंडर और लैंगिक अल्प समुदाय के लिए समावेशिता और समान अवसर को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना, बजट और रोजगार के अवसर बढ़ाना.
जेंडर के लिए आवंटित बजट में परलैंगिक (ट्रांसजेंडरों) के लिए भी प्रावधान रखना.

विशेष कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं लागू करके (जिस क्षेत्र में अभी तक नहीं दिया गया है) अनुसूचित जातियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार आरक्षण या विशेष कर सुविधा जैसी सुविधाओं को शामिल करना, आवश्यक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना.

शिक्षा संस्थानों में न्याय, अहिंसा, सरलता, सम्मान, अन्याय, उदारता, जिम्मेदारी और साझेदारी जैसे मूल्यों को पुनर्जीवित करना, उस पारंपरिक विधि से नहीं, जहां ज्ञान, शीर्ष-से-नीचे उपदेश के रूप में आता है, बल्कि ऐसी गतिविधियों के माध्यम से जहां हर्ष और शिक्षा का समागम है.

लोकतंत्र

संविधान नागरिकों के अधिकारों और प्रत्याभूति सहित लोकतांत्रिक कार्यवाही और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि, इन्हें सघन करने की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण और शहरी स्वशासन के संबंध में, साथ ही सभी नागरिकों की पूरी भागीदारी के साथ मजबूत क्रियान्वयन भी आवश्यक है, जिसके प्रयोग हो चुके हैं और उदाहरण हमारे पास हैं. हाल के समय में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का राज्य द्वारा हनन के संदर्भ में, जहां असहमति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और सभा के अधिकार, जो हमारे संविधान की भाषा और भाव में है, को छीनने के प्रयास हो रहे हैं, आगे बेहतर लोकतंत्रीकरण की विशेष रूप से आवश्यकता है. इस संदर्भ में, सार्थक स्वराज की दिशा में तत्काल कदम उठाने आवश्यक हैं, जैसे कि:

संविधान में निहित मौलिक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अधिकार को सभी सार्वजनिक मंचों और कार्यक्रमों में सुदृढ़ करें.

स्वशासन के निकायों को कानूनी निकायों (निकाय कॉर्पोरेट) के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए, वित्तीय और कानूनी विकेन्द्रीकरण के लिए मदद करें, जो कि 73वीं और 74वीं संविधानी संशोधन और संबंधित कानूनों के अंतर्गत उनके पास है.

ग्राम सभाओं को स्वशासन की पूर्ण शक्तियां, जहाँ उचित हों, प्रदान करें (यानी सिर्फ पंचायत नहीं, पूरी ग्राम सभा), उपरोक्त को पारंपरिक प्रबंधन के साथ जोड़ें (विशेष रूप से आदिवासी / जनजातीय या पहाड़ी और द्वीप समुदायों के लिए), या 73वें संविधानी संशोधन के प्रयोजन के लिए उन्हें ग्राम सभा / पंचायत के रूप में मान्यता दें (जैसा कि सिक्किम में द्ज़ुम्सा प्रणाली के मामले में हुआ), जिससे आंतरिक सुधार लागू हो सके और जाति, लिंग या अन्य आधार पर अन्याय और भेदभाव दूर हो सके.

वार्ड सभाओं या अन्य मौजूदा शहरी प्रशासन संस्थानों के अधीन, जो बहुत बड़े हैं और सामुदायिक सदस्यों की सीधी भागीदारी संभव नहीं है, क्षेत्र या मोहल्ला सभाओं (शहरी पड़ोस) को पूर्ण स्वायत्तता की शक्तियां प्रदान की जाएं.

स्वायत्तता के इन उपरोक्त मंचों में सहभागिता के लिए सभी नागरिकों की अर्थपूर्ण क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि सभी नागरिकों की सहमति पर आधारित निर्णय की प्रक्रिया का निर्माण हो.

ऐसे लोगों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए, जो निर्णय-निर्माण के मंचों से वर्तमान में दूर हैं, जैसे कि महिलाएं और लैंगिक अल्प समुदाय.

बड़े क्षेत्रों (जैव-सांस्कृतिक क्षेत्र) के लिए ऐसे प्रशासन, योजना और प्रबंधन संस्थानों को आरंभ किया जाए जिनकी उस क्षेत्र के साथ पारिस्थितिकी, भूगोलीय और सांस्कृतिक संलग्नता हो (जैसे नदी और जलाशय, उप-जलधाराएँ, वन के आसपास के बसेरे, आदि). यह संस्थान मौजूदा जिला, उप-जिला और राज्य की सीमाओं से सम्भव है कि लगे हों या यह भी संभव है कि ना लगे हों; साथ ही मौजूदा राजनीतिक सीमा की पुनःकल्पना की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संलग्नता और जुड़ाव से संबंध सहज हो.

सामूहिक या सामुदायिक उपक्रम तथा जन आंदोलन और सहकारी समूह, जो दल-गत नहीं हैं, को राजनीतिक रूप से संगठित होने के लिए मदद करना और प्रोत्साहित करना.

सभी राजनीतिक निकायों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं या मजबूती प्रदान की जाए, जिसमें खातों और वित्त के स्रोतों का पूर्ण सार्वजनिक खुलासा शामिल हो.

संवैधानिक निकायों, कानूनी निकायों और अर्ध-न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए और मजबूत किया जाए, इसके अंतर्गत नियुक्तियों में निष्पक्षता की गारंटी देने वाली प्रक्रियाओं को स्थापित करना, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए सेवा की शर्तों की संरचना और उनका निर्धारण, शामिल है. साथ ही ऐसे निकायों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए जवाबदेही के तंत्रों को मजबूत करना होगा और इन निकायों की स्वतंत्रता और प्रभाव को बढ़ाने के उपायों पर काम करना होगा. विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले समाज के वर्गों के अधिकारों और न्याय की रक्षा, सार्वजनिक और निजी व्यापार सेक्टर के नियंत्रण, और जो स्वयं अपने लिए सक्षम नहीं हैं उनके कल्याण में भूमिका के लिए राज्य के अंगों की पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों और कार्यक्रमों में परिणामों, लक्ष्यों, प्रक्रियाओं और उपलब्धियों के बारे में नियमित, विश्वसनीय और खुली संचार और सूचना की शुरुआत हो, जिसे जनसाधारण लोग सार्वजनिक मुआयनों और सुनवाइयों के माध्यम से सत्यापित कर सकें.

आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं (परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) का विनिवेशी वित्त और पीपीपी मॉडल्स के नाम पर निजीकरण ना सिर्फ रुकना चाहिए बल्कि इसकी उलट प्रक्रिया चलनी चाहिए, क्योंकि इन सेवाओं तक गरीब की पहुँच घट रही है, युवा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से वंचित हैं, और सामाजिक क्षेत्रों के बजट आवंटन को कम करने का राज्य बहाना दे रहे हैं.

इस दस्तावेज़ में दी गई विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए, जहां नहीं हुआ है, पूर्ण भागीदारी और परामर्शात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से, नीति रूपरेखा लायी जाए.

सभी कानूनों और नीतियों के नियमन और समीक्षा में जन सलाह को शामिल करना अनिवार्य बनाया जाए, ताकि पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित हो; सुनिश्चित करें कि ग्राम सभाएँ, शहरी वार्ड, और अन्य स्वायत्तता संस्थान इस प्रक्रिया के केंद्र में रहें.

सभी कल्याण कार्यक्रम और योजनाएं एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्यान्वित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक मुआयनों को अनिवार्य बनाने और नागरिक निगरानी के तंत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया जाए.

पुलिस या सशस्त्र बलों को निरंकुश अधिकार देने वाले, लोकतांत्रिक विरोध को दबाने और विरोधी नागरिकों को आतंकवादी या राजद्रोही या अन्य ऐसे शब्दों से चिह्नित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कानून और प्रावधानों को खत्म किया जाए; इसके बजाय, लोकतांत्रिक कार्यान्वयन में योगदान देने वाले सशक्त सिविल सोसाइटी विमर्श मंचों को प्रोत्साहित किया जाए.

सिविल सोसाइटी समूहों सहित सभी संगठनों और संस्थाओं में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए.

जीविका और रोज़गार

भारत को बेरोजगारी, अल्प-रोज़गार और गलत रोजगार की एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और ऑटोमेशन के नए रुझानों से स्थिति के और भी गंभीर होने की संभावना है. बड़े स्तर पर 'डी-स्किलिंग' का भी गंभीर मामला सामने आ रहा है, जैसे कि कृषि और कला-शिल्प जैसी पारंपरिक दक्षता और कौशल को नकारा जा रहा है और उन कुशल हाथों का स्थान व्यापारिक उत्पादन में लगे असंख्य हाथों ने ले लिया है. 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के कार्यक्रमों में स्थानीय आजीविका के कुछ घटक हैं, लेकिन अधिकांशतः उनका ध्यान बड़ी कंपनियों और व्यापार पर है, जिससे कला, लघु विनिर्माण और कृषि प्रोसेसिंग के साथ-साथ बायोमास पर आधारित ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास और छोटे प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित सेवाओं की भारी संभावना को नकार दिया जाता है. स्थानीय स्वायत्तता को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है. अर्थपूर्ण, गरिमामय, पर्याप्त जीविका और रोजगार की खोज के सन्दर्भ में, समुदायों, सिविल सोसाइटी और कुछ राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही हजारों उदाहरण दिए जा रहे हैं. इसके लिए तत्काल उपाय ज़रूरी हैं.

सरकारी कार्यों में सबसे अधिक प्राथमिकता समुदायों या व्यक्तियों द्वारा चुनी जाने वाली पारंपरिक जीविका और व्यवसायों की निरंतरता और उनमें सुधार को तथा किसी भी जातिवाद, लैंगिक या अन्य भेदभावों को दूर करने में मदद करने के लिए देना चाहिए; इसमें कृषि, पशुपालन (घुमंतू या स्थायी), वन्यजीवन, मत्स्य पालन, शिल्पकला, छोटे उद्योग, पारंपरिक चिकित्सा और अन्य ऐसे क्षेत्र शामिल हों (जानते हुए कि अधिकांश भारतीय इन पर ही आश्रित

हैं); वर्तमान और नई पीढ़ियों को ऐसी आजीविकाओं में बने रहने या उन्हें अपनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जैसे आर्थिक मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से, पुरुष-नियंत्रित क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करना, जमीन सहित संबंधित संसाधनों पर समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना (वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के मॉडल का उपयोग करके) और नवाचार के प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए संस्थान.

स्थानीय, समुदाय-आधारित और विकेन्द्रीकृत उत्पादन को बढ़ावा देकर (पारंपरिक और नए शिल्प समेत), उत्पादक संगठनों (सहकारिता, कंपनियां, संघ आदि) के सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से संचालन की प्रक्रिया से, इन उत्पाद और सेवाओं में बड़ी कंपनियों के नियंत्रण को धीरे-धीरे समाप्त कर, गांव और आसपास के शहरों में जहां यह उत्पादन प्रक्रिया चल रही है, वहां इसे सुविधाजनक बनाकर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मात्रा में बनाए या उत्पन्न किए जा सभी उत्पादों और सेवाओं को आरक्षित किया जाए.

एक प्रकार के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन और प्रतिपूर्ति में असमानता को हटाने के लिए कदम उठाना आवश्यक है.

अधिकतम वेतन और पारिश्रमिक को सीमित करने के उपाय आरंभ हों, जो औसत आय के दोगुने से अधिक नहीं हो. शारीरिक और मानसिक परिश्रम, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और संस्थान के विभिन्न स्तरों के बीच वेतन में असमानता, को कम से कम संभावना तक कम करने के उपाय किये जायें.

मनरेगा, जैसे, मौजूदा रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाना होगा, साथ ही शहरी आजीविका गारंटी योजना जैसे नए कार्यक्रमों का सूत्रपात करना होगा जिससे शहरी गरीबों को मौलिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके.

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI) के घेरे में सभी कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी, लिए जाएं. ESI फंड (कथित तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक) का उपयोग कर्मचारियों के कल्याण के लिए हो;

सुनिश्चित किया जाए कि एक सार्वभौमिक न्यूनतम पेंशन, कम से कम पिछले प्राप्त वेतन का आधा या न्यूनतम मासिक मजदूरी, दोनों में जो अधिक है, देय हो;

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील, सतत और गरिमामय जीविका और रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, 'हरित रोज़गार' और बदलाव के रोज़गार, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रोत्साहित किया गया है (जिसमें 'गंदे रोज़गार' में लिप्त लोगों के लिए आवश्यक नवीन कौशल और कौशल में प्रवीणता की उपलब्धता शामिल है) की राह प्रशस्त हो.

राष्ट्रीय मानक में सेवा के काम को शामिल करके अर्थव्यवस्था के संपूर्ण बोझ के लिए समग्र समझ और वेतन सहित कुछ समय अवधि का अवकाश, सीमित खर्चे में बच्चों की देखभाल, वृद्ध स्वास्थ्य सेवाएं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों में उचित निवेश के माध्यम से महिलाओं जैसे देखभालकर्ताओं के दीर्घकालीन सम्पूर्ण कल्याण को प्रोत्साहित किया जाए.

सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए समय पर भर्ती सुनिश्चित हो; शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवा, न्यायपालिका, आयोग और अन्य आवश्यक लोक-सेवा विभाग के रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए.

अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी

पूर्व में भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी विकास में राज्य का दबदबा होता था, लेकिन फिर इसमें निजी कॉर्पोरेट्स का दबदबा भी जुड़ गया, विशेषकर 1991 के बाद के तथाकथित 'सुधार' के बाद. इसके कई परिणाम सामने आये हैं, जैसे: असमानता में वृद्धि, असंख्य उत्पादन कर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी जिनका उत्पादन की प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है, उपभोक्ताओं का अपने उपभोग पर कमज़ोर नियंत्रण, प्रौद्योगिकियों के पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों से संबंधित नियम कमज़ोर या नदारद, और कॉर्पोरेट्स को अपने लाभ के लिए ज़मीन, संसाधन और वित्त लगभग मुफ्त में उपलब्ध. इसकी विपरीत प्रवृत्ति के रूप में, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास में लोगों और पर्यावरण को प्राथमिकता देने वाली पहल भी सामने हैं. पहले से मौजूद वैकल्पिक दृष्टिकोणों और इस पूरे संकट के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी पर सार्वजनिक, लोकतांत्रिक नियंत्रण (आर्थिक स्वराज) को पुनर्स्थापित करने की गंभीर आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

उत्पादन और विनिमय के सभी क्षेत्रों में, जहां तक संभव और साध्य है, पुन: स्थानीयकरण को योग्य बनाया जाए, विशेष रूप से मूल आवश्यकताओं की प्रदानशीलता में, जिसका

दीर्घकालिक उद्देश्य कुछ किलोमीटर के क्षेत्र की आबादी को आवश्यकताओं के आधार पर आत्मनिर्भर और आत्म-पूरक समुदाय के रूप में विकसित करना हो (भोजन, ऊर्जा, जल और अन्य क्षेत्र के विकेंद्रीकरण के बारे में नीचे देखें);

निजी कॉर्पोरेट सेक्टर को मज़बूती से नियंत्रित करें ताकि श्रम और पर्यावरण का शोषण और विभिन्न प्रकार के एकाधिकार खत्म हों, और अंततः इस प्रकार के सभी उत्पादों को लोकतांत्रिक रूप से चलाए जा रहे उत्पादक संगठनों, जिन्हें पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो, द्वारा बदल दिया जाए;

सामुदायिक मुद्रा, गैर-मुद्रीकृत प्रणालियाँ, उपहार अर्थव्यवस्था, और समय साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए विकेन्द्रीकृत, स्थानीय विनिमय प्रणालियों के सृजन और प्रसार को प्रोत्साहित करें, जो हर काम के समान मूल्य, सिद्धांत पर आधारित हों;

बड़े पैमाने पर व्यापार और आर्थिक विनिमय के लिए प्रणालियों के संचालन के सिद्धांत लागू करें, जिसमें स्थानीय स्वावलंबन या मूल आवश्यकताओं का स्वावलंबन खतरे में न हो;

राजस्व उत्पन्न करने और आर्थिक निर्णय लेने के लिए राज्यों और स्थानीय स्वायत्तता के प्रोत्साहन के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण और संघीयता को मजबूत किया जाए.

सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को पर्यावरण के लिए संवेदनशील और संपोषणीय बनाने की तरफ प्रयास हो.

उत्पादन-कर्ताओं और समुदायों में प्रौद्योगिकी और आर्थिक नवाचार को प्रोत्साहित करें, यह स्वीकार करते हुए कि हजारों वर्षों से औसत व्यक्तियों के द्वारा नवाचार होता रहा है और यह किसी आधुनिक, औपचारिक संस्थान का एकाधिकार नहीं है. मौजूदा योजनाओं, नियोगों के दिशा-निर्देशों को लेकर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. डिजाइन, नवाचार और कौशल के संस्थानों की नीतियों में बदलाव किया जाए ताकि उनके द्वारा लोकतांत्रिक, विस्तारवादी, गैर-संस्थागत प्रणालियों का सम्मान और प्रोत्साहन हो.

उत्पादन, परिवहन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को संपोषणीय पारिस्थितिकी और सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता की दिशा में ले जाने वाले नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाए.

सकल घरेलू उत्पाद को बहुआयामी, गुणात्मक-मात्रात्मक आर्थिक समृद्धि के रूप में देखना होगा, जिसमें भौतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी समृद्धि के पहलुओं को शामिल किया जाए, जो
गैर-उपनिवेशवाद, नारीवाद, पारिस्थितिक दृष्टिकोणों पर आधारित हों; मौजूदा व्यवस्था और मापक, जैसे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, नेशनल वेल-बीइंग अकाउंट्स, और जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, को भारतीय स्थितियों और जीवनशैली की विविधता के संदर्भ में संशोधित किया जाए (एक ही प्रकार के मापक के उपयोग के जाल में फंसे बिना).

बेहिसाब अपव्यय और उपभोग संस्कृति का लोगों में प्रभाव, के प्रति व्यापक जागरूकता से, उद्योग और विज्ञापन के नियामकन से, और धन के संचय को सीमित करने के उपाय से इस प्रवृत्ति को रोकने और हतोत्साहित करने (नीचे देखें) के प्रयास हों; उपभोक्ता संघ और यूनियन को सुविधा प्रदान हो जिस से अर्थव्यवस्था के लोकतांत्रिक नियंत्रण और मानव और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की दिशा में मदद मिले.

भारत में व्याप्त गहरी आर्थिक असमानता से निपटने के लिए मजबूत और तत्काल कदम, जैसे कि वेतन/आय पर प्रतिबंध, उच्च स्तर की आय, संपत्ति और विरासत पर भारी कर, 'गरीबी रेखा' के नीचे या उसके पास वालों की मूल आमदनी में वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के लिए पेंशन योजनाएं, और अन्य ऐसे उपाय; निजी संपत्ति और धन का नियमन या समाप्त करने की जरूरत पर एक राष्ट्रीय चर्चा की शुरुआत.

सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं, बजट निर्धारण और अन्य मैक्रो-आर्थिक नीतियां और कार्रवाई, पारिस्थितिक सीमाओं और सामाजिक-आर्थिक न्याय और समता के लक्ष्यों के साथ मेल खाती हों.

उपरोक्त अधिकांश क्रियाओं के संबंध में, अवैध या काली अर्थव्यवस्था को रोकने और समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं (संपत्ति से आमदनी, जैसे लाभ, ब्याज, किराया और भागिता, जिसपर सीधे कर का भुगतान होना था पर नहीं किया गया), साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है और जिसका अर्थव्यवस्था और समाज के हर पहलू पर बुरा असर पड़ता है; इसमें बैंक कार्य में पारदर्शिता, और कर सुधार के कदम जैसे, कंपनियों का सकल लाभ कर, शामिल है।

भोजन, जल और ऊर्जा

कई दशकों की विकास और लाभ की योजनाएं, जिनका मुख्य उद्देश्य मूलभूत आवश्यकता पूर्ति रहा, के द्वारा कुछ निश्चित लाभ के बावजूद भारत अभी भी भूख, कुपोषण, और असुरक्षित भोजन, स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक पहुंच और विश्वसनीय और साफ ऊर्जा स्रोतों की अनुपलब्धता के संकट से जूझ रहा है. इसके अतिरिक्त, सैकड़ों-लाखों लोग खाद्य, पानी, और ऊर्जा उत्पादन या प्रदानन की असुरक्षित और पारिस्थितिकी खतरनाक व्यवस्था का सामना कर रहे हैं, साथ ही खाद्य और पानी में विभिन्न प्रकार के जहरीले पदार्थों की मिलावट से जूझ रहे हैं. कई लोगों की पहल, जिनमें कुछ को राज्य सरकारों द्वारा समर्थन भी प्राप्त है, के द्वारा पारिस्थितिकी संतुलित तरीकों से सबसे कमजोर लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं, यह सीखने लायक कदम है. इस संदर्भ में, निम्नलिखित के लिए तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है:

भोजन

कृषि-पारिस्थितिकी (जैविक/प्राकृतिक को सम्मिलित करके) साधनों द्वारा खाद्य उत्पादन के लिए कृषि भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए और किसानों के उत्साहवर्धन के लिए कुछ इनाम भी प्रोत्साहन स्वरूप रखा जाए. कृषि-पारिस्थितिकी साधन जैसे कृषि में बाहरी हानिकारक तत्व का न्यूनतम उपयोग, जल की बचत, छोटे किसान आधारित कृषि, जैविक विविधता वाले अनाज (स्थानीय अनाज, दालें, आदि को प्रोत्साहित करना) का उत्पादन, और जहां किसान के पास अपना बीज, अपनी भूमि, और अपना स्वयं का ज्ञान है (अन्न स्वराज प्राप्त करने में सहायता); यह परिवर्तन सक्षम बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खाद्य

संप्रभुता अधिनियम के रूप में संशोधन किया जाए, और जब तक किसान आत्म-निर्भर नहीं हो जाते, तब तक केमिकल खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित सभी अनुदानों को कृषि-पारिस्थितिकी उत्पादन में स्थानांतरित किया जाए; भारत को 2040 तक खाद्य उत्पादन में 100% जैविक बनने का लक्ष्य निर्धारित हो, रासायनिक खाद और कीटनाशक के कृषि में उपयोग को व्यवस्थित रूप से कम करने और उन्हें कम बाह्य दोष प्रवाहित तकनीकों से बदलने के लिए अंतरिम कदम उठाये जाएं.

आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय, शहरों की कामकाजी जनसंख्या, जो अन्यथा सस्ते और हानिकारक खाद्य का सेवन करने के लिए मजबूर है, की उचित मूल्य के जैविक और स्वस्थ खाद्य (जैसे, मोटा अनाज, दालें, फल और सब्जियों) तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया जाए। इसके लिए असुरक्षित खाद्य के ऊपर अनुदान को हटा कर आवश्यकता के आधार पर सुरक्षित/स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य के ऊपर अस्थाई अनुदान प्रदान किया जाए, पीडीएस, मध्याह्न भोजन व अन्य कार्यक्रमों में इस पौष्टिक/स्वस्थ/सुरक्षित खाद्यान्न को शामिल करके गरीब तक आपूर्ति सुनिश्चित हो.

भारतीय खाद्य पदार्थों की विविधता और आहारों के मूल्य के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करें. जंक फ़ूड जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, के स्थान पर 'देर से पचने वाला मोटा अनाज' और विविध पौष्टिक खाद्य जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादि को प्रोत्साहित करें. भोजन में जातिवादी व्यवस्था या ऊंच-नीच और खाद्य संस्कृतियों और प्रथाओं में एकरूपता को नकारें;

आहार में बिना जुताई वाले खाद्य के उपयोग को पुनर्स्थापित करें, उपयोग में निरंतरता को प्रोत्साहित करें, सुनिश्चित हो कि उनका प्रयोग सतत हो;

खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच आपसी सम्मान तथा विश्वास को बढ़ावा देने वाले संबंध स्थापित हों, जिस से स्थानीय व्यापार को खाद्य आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करने में मदद मिले और ऐसी कीमत निर्धारित करने की संभावना बने जो दोनों को स्वीकार्य हो;

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करें, जहां बाजार की स्थिति किसान को उचित मूल्य प्राप्त करने की संभावना के अनुकूल नहीं हो.

जल

सभी संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में जल के उपयोग की निम्नलिखित प्राथमिकताओं को स्थापित और लागू करें (क्रमश: प्राथमिकता के अनुसार): जीवन के लिए जल (पीने का पानी, स्नान, स्वच्छता, पशुपालन, वन्यजीवन), पारिस्थितिकी जरूरतें और कार्य, आजीविका (खाद्य उत्पादन सहित), परिवर्तनों (जलवायु, भूमि उपयोग, आजीविका, आदि) का अनुकूलन, और औद्योगिक/ढांचागत उपयोग; आपूर्ति वृद्धि के बजाय मांग प्रबंधन को प्राथमिकता दें, विशेषकर विलासिता और अपव्यय को कम करने के लिए, सिवाय अत्यधिक कमी की स्थिति में;

जल की व्यवस्था के लिए महा-परियोजनाओं और केंद्रीयकृत व्यवस्था की तुलना में पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के उचित संयोजन की मदद से स्थानीय हार्वेस्टिंग, स्थानीय प्रशासन और उपयोग को प्राथमिकता दें;

वेटलैंड्स और जल स्रोतों के पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन और प्रदूषण मुक्ति के लिए व्यापक समर्थन प्रदान करें (जहां संभव हो, विशाल परियोजनाओं को समाप्त करें), और उनके कैचमेंट क्षेत्र को पुनर्जीवित और संरक्षित करें;

समुदाय आधारित प्रशासन व्यवस्था से जल का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो, विशेष रूप से जल के प्रबंधन और पहुंच में लिंग भेद का प्रावधान, इन तंत्रों के माध्यम से जल तक सबकी पहुंच और जल के प्रबंधन के लिए प्रयास (भूमिगत जल प्रबंधन भी) हों;

घरेलू, कृषि और उद्योग में विभिन्न जल उपयोग को कुशल विधि, न्यायसंगत जल वितरण, मांग प्रबंधन और पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के माध्यम से कम करें;

जल आधारित बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की पुन: समीक्षा करें, जैसे नदियों को जोड़ना, अंतर्देशीय जलमार्ग और बड़ी जल ऊर्जा परियोजनाएं, क्योंकि ये जीवन, आजीविका और अन्य प्राकृतिक विशेषता को नष्ट करने वाली होती हैं; बजाय इसके, सभी संबंधित लोगों की भागीदारी के साथ अधिक टिकाऊ, मौसम अनुकूलित और सस्ते विकल्पों को प्रोत्साहित करें;

ऐसी परियोजनाएँ रोकी जाएं जो जलवायु अनुकूलन के नाम पर अदूरदर्शी हैं या अन्य गंभीर पारिस्थितिकी समस्याओं को उत्पन्न करने वाली हैं, जैसे कई नदी को गहरा, चौड़ा और सीधा करने की प्रक्रिया;

सभी प्रकार के जलाशय और जल के स्रोतों को सार्वजनिक साझेदारी के रूप में देखा जाए, ना कि निजीकरण के लिए उपलब्ध; इस के लिए संवैधानिक प्रावधान की व्यवस्था हो और कानूनी कदम उठाया जाए.

विभिन्न स्तरों (छोटे जल-बंध, घाटियों के झरने और जलाशय जो कई राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं, क्योंकि हमारी कई नदियां सीमांतर होती हैं) पर इस तरह की संस्थाओं का निर्माण हो जो विवरण, जानकारी, अनुभव साझा करने, विवादों के समाधान के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य लोकतांत्रिक संस्थान हो सकें;

नदियों और झीलों सहित जल संरचनाओं के अधिकारों को स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता दें, जैसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना के अधिकारों को मान्यता दी है.

ऊर्जा

मजबूत मांग प्रबंधन को स्थापित करें, ऊर्जा की व्यर्थ खपत को कम करें, और मूल्यांकन करें कि कितनी ऊर्जा का उत्पादन पारिस्थितिकी संतुलन वर्धन है और इस सीमा को बनाए रखें; अपशिष्ट उपभोग के बजाय ऊर्जा संरक्षण और बचत को प्रोत्साहित करें, ऊर्जा के अपव्यय वाली वस्तुएं और उपकरणों के स्थान पर ऊर्जा की कम खपत वाली वस्तुएं और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करें;

पारंपरिक स्रोतों और उत्पादन के बजाय स्थानीय, नवीनीकृत, प्रतिभागी संचालित ऊर्जा स्रोतों, उत्पादन और ग्रिड को प्राथमिकता दें; 2030 तक जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन पर आधारित ऊर्जा उत्पादन को समाप्त करें और पूरी तरह से नवीनीकृत स्रोतों द्वारा इनको प्रतिस्थापित करें; मौजूदा जल-विद्युत क्षमता का बेहतर उपयोग करें, नए बड़े जलविद्युत संयंत्र की

आवश्यकता को खत्म या कम करें, और अंततः बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध लागू करें.

ऊर्जा के सामयिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, इसके अंतर्गत जहां इसका उपयोग विलासिता के लिए हो रहा है वहाँ से बुनियादी आवश्यकताओं के लिए इसका पुनर्वितरण हो.

गैर विद्युत ऊर्जा के विकल्पों को प्रोत्साहित करें, जैसे कि बायोमास और पनचक्की जैसी पारंपरिक तकनीक जिसको आवश्यकतानुसार उन्नत किया जाए, और गर्म और ठंडा रखने की अप्रतिरोधी तकनीक.

उत्पादन और वितरण को अनुकूलित करें, उनके लाभों को सामयिक रूप से वितरित करें, दक्षता में सुधार करें, सार्वजनिक संस्थानों को जवाबदेह बनाएं, और ऊर्जा योजना में वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को शामिल करें.

स्वास्थ्य और स्वच्छता

समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक संकट है, जिसका मुख्य कारण इस वर्ग की निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं होना विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र का निजीकरण, पोषक और पर्याप्त भोजन और शुद्ध पानी की कमी, रासायनिक प्रदूषण और संघर्षपूर्ण सामाजिक वातावरण में जीवन, मुफ्त या सस्ते पोषणीय भोजन और प्राकृतिक औषधीय संसाधनों की उपलब्धता में गिरावट, जंक भोजन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय को गैर ज़िम्मेदाराना प्रोत्साहन, 'गरीबी के रोग' के साथ अब 'धन के रोग' भी जुड़ते जा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का चिंताजनक स्तर और अनेक प्रचलित स्वास्थ्य प्रणालियों, विशेषतः आयुष और लोक प्रथाओं के प्रचार को कमजोर प्रोत्साहन. कोविड महामारी के दौरान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की चिंताजनक, बेअसरदार स्थिति का प्रदर्शन सबके सामने है. यह अनुमान है कि भारतीय घरों में स्वास्थ्य संबंधी व्यय लगभग 120 अरब रुपये है, और परिवार के खर्च का करीब 55% आय से अधिक होता है. लेकिन

कोविड के दौरान और अन्य स्थितियों में इससे पहले और उसके बाद भी, समुदायों, सिविल सोसाइटी और कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा बीमारियों की रोकथाम और उपचार सहित जनस्वास्थ्य के प्रेरणादायक उदाहरण भी हैं. इनसे सीखते हुए, उपायों की शीघ्र आवश्यकता है:

बीमारी की रोकथाम को उच्च प्राथमिकता देना, इसके लिए स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कारकों में सुधार हो, जैसे पोषक भोजन, पानी, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित परिवहन, और स्वस्थ सामाजिक वातावरण; खराब स्वास्थ के व्यवसायिक कारकों का विरोध (कंपनियों और अन्य द्वारा अधिक लाभ को आधार बनाकर स्वास्थ के लिए हानिकारक वस्तुओं का प्रोत्साहन, जिसके अंतर्गत धूम्रपान और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ आते हैं); अपने शरीर और स्वास्थ के प्रति समय की कसौटी पर खरी सिद्ध हुई परंपरागत और प्रमाणित आधुनिक समझ को लोगों तक पहुंचाना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सबको जागरूक बनाना; और इसे स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का मौलिक हिस्सा बनाना;

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लक्षणात्मक अस्वस्थता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक उन सबकी, जो परंपरा से बंधे हुए होने के कारण अभी तक इस से वंचित रहे हैं, पहुंच सुनिश्चित करना, और नागरिकों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी की जवाबदेही सुनिश्चित करना;

चिकित्सा में हस्तक्षेपीय ढांचे की सीमाओं को स्वीकारते हुए उस से बचाव;

अनेक स्वास्थ्य प्रणालियों, पारंपरिक और आधुनिक, की विविधता और समन्वय को प्रोत्साहित करें, भारत और बाहर की विविध स्वास्थ्य पद्धतियों, जिसमें देसी/लोक परंपरा में प्रचलित औषधियां, प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेदिक, यूनानी और अन्य समग्र या समन्वित दृष्टिकोण को वापस प्रचलन में लाया जाए; सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्वास्थ्य क्लिनिक, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में कई पद्धतियों के विकल्प उपलब्ध हों;

स्वास्थ्य और स्वछता के समुदाय-आधारित प्रबंधन और नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए आसपास के क्षेत्रों के स्वास्थ्य, युवाओं और उपेक्षितों के लिए सुरक्षित स्थान के निर्माण, और मानव सहित अन्य अपशिष्ट के जाति-आधारित प्रबंधन के निर्मूलन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िम्मेदारी निश्चित की जाए;

अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं तक सबकी पहुंच से और उनमें कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करके मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना का विस्तार हो. स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निजी अस्पतालों पर खर्च की सीमा तय होने जैसे नियमों के द्वारा चिकित्सा के बेहिसाब खर्च को सीमित करने के प्रयास हों.

सकल घरेलू उत्पाद का 3% इन गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखना सुनिश्चित हो.

पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु

पिछले कुछ दशकों में विनाशकारी विकास परियोजनाओं, व्यवसायीकरण, केंद्रीकृत और खराब शासन, निर्णय लेने और प्रबंधन में सार्थक लोगों की भागीदारी की कमी और कुछ जनसांख्यिकीय रुझानों के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर, व्यापक और अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ है. 1991 के बाद से, जब आर्थिक 'सुधार' लाए गए थे, पर्यावरण और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं में बमुश्किल लाये गए कई हितकारी कानूनों को कमज़ोर या दरकिनार कर दिया गया, यह प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज हो गई है (वन, जैव विविधता और अन्य पर्यावरणीय कानूनों जैसे नवीनतम संशोधनों के साथ)। हाल के दिनों में जलवायु संकट से इसमें वृद्धि हुई है, जिस से पहले से ही लाखों लोग प्रभावित थे, विशेष रूप से प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रों या बाहरी नौकरियों के श्रमिक. खराब रोकथाम और प्रतिक्रिया तंत्र के साथ तथाकथित 'प्राकृतिक' आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर भी पर्यावरण, जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रतिक्रिया के लिए बजट पूरी तरह से अपर्याप्त है, और इसमें दलितों, आदिवासियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, असंगठित दैनिक वेतन भोगियों, विकलांग लोगों और महिलाओं और बच्चों सहित अन्य हाशिए वाले वर्गों के लिए कोई विशेष

समाधान भी शामिल नहीं हैं. दूसरी ओर, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्जनन, या क्षरण को रोकने, जलवायु और आपदा अनुकूलन और प्रक्रिया में समुदाय के नेतृत्व वाली सैकड़ों पहल पूरे भारत में मौजूद हैं - हालांकि अभी भी प्रमुख प्रवृत्ति के अपवाद के रूप में. इस संदर्भ में, तत्काल उपायों की आवश्यकता है:

सम्पूर्ण देश, और उसके क्षेत्रों की पारिस्थितिक सीमाओं और वहन क्षमता को स्थापित करने के लिए (सर्वोत्तम उपलब्ध पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके) स्वतंत्र अध्ययन की सुविधा प्रदान करना, और परिणामों को व्यापक रूप से प्रचारित करना;

परियोजनाओं (बुनियादी ढांचे सहित), कार्यक्रमों, योजनाओं और क्षेत्रों (वर्तमान में छूट प्राप्त, जैसे बड़े स्तर की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं) के स्वतंत्र और भागीदारी से आयोजित व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की मदद से सभी स्तरों, स्थानीय से राष्ट्रीय तक, आर्थिक नियोजन में इन सीमाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाए; इस तरह के आकलन को परियोजना प्रस्तावकों या मंत्रालयों/एजेंसियों, जिनके ये कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं, के बजाय एक मुख्य बजट के माध्यम से वित्त पोषित करने की आवश्यकता है.

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और वन्य जीव आबादी की अखंडता और निर्वाह को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित हो; ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ जो पहले से ही खतरे के दायरे में हैं; संरक्षण के सभी उपायों को उपलब्ध सर्वोत्तम पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके फिर समुदाय उन्मुख बनाना (वन अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित किए गए मॉडल का उपयोग करके);

यह सुनिश्चित करना कि वन, आर्द्रभूमि, घास के मैदान, समुद्री तट, समुद्री क्षेत्र और अन्य ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिन पर समुदाय निर्भर हैं, आम लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहें (या जन साधारण के अधिकार में वापस लाए जाएं), जो लोकतांत्रिक सामुदायिक संस्थान जैसे ग्राम सभा, मोहल्ला सभा या पारंपरिक शासित संस्था द्वारा शासित हों, जिसमें महिला समूह और इस तरह के सार्वजनिक पर सबसे अधिक निर्भर लोगों, की केंद्रीय भागीदारी हो;

जैव विविधता के नुकसान, जलवायु संकट, विषाक्त पदार्थों और प्रदूषण सहित वैश्विक पारिस्थितिकी समस्याओं में भारत की भूमिका का आकलन करें, और एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने की दिशा में कदम उठाएं. जबकि अन्य देश, जो इन समस्याओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दें;

भारत की जैव विविधता और लोगों पर इन वैश्विक पारिस्थितिकी समस्याओं के प्रभाव या संभावित प्रभावों का आकलन करें, और इन प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल उपाय शुरू करें, खासकर जहां प्रभाव दिख रहा है या हाशिये की जनता के प्रभावित होने की संभावना है.

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और राज्य जलवायु कार्य योजनाओं की समीक्षा और संशोधन की सुविधा प्रदान करना और इसे अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाने और शमन और अनुकूलन के लक्ष्यों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की दृष्टि से जमीनी स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित होने वाले समुदायों, नागरिक समाज संगठनों, और अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना. उत्सर्जन चरम पर पहुंचने के लिए विशिष्ट लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन, जैसे खराब मौसम और अनियमित वर्षा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों को प्राथमिकता देना.

भारत में तेजी से बढ़ते कार्बन और ग्रीन क्रेडिट बाजार और कानूनी प्रावधानों, विशेष रूप से इनमें लोकतांत्रिक निर्णय की कमी, की समीक्षा करें कि क्या समुदाय (विशेष रूप से हाशिए पर के) वास्तव में लाभान्वित हो रहे हैं और क्या जलवायु संकट कम हुआ है. जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले, वैकल्पिक दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और सार्वजनिक समर्थन प्रदान करें, जैसे कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी का सामुदायिक संरक्षण और जैविक खेती में रूपांतरण.

यह सुनिश्चित करना कि एनएपीसीसी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) सहित सभी जलवायु और अन्य आपदा नियोजन में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है और इन्हें पूरा करने के लिए उचित बजटीय आवंटन किया गया है; इस तरह के आवंटन को एससी/एसटी उप-योजनाओं और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के

लिए अन्य प्रासंगिक कार्यक्रमों, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटन के अंतर्गत लिया जाना चाहिए.

भूमि और जल पुनर्जनन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू हो जिसे सार्थक रोजगार और आजीविका का आधार बनाया जाए और इसके लिए ऐसा तरीके का उपयोग हो जो स्थानीय पारिस्थितिक संदर्भ के लिए उपयुक्त हो, साथ ही इसे ऊपर उल्लेखित वैकल्पिक जलवायु दृष्टिकोण से भी जोड़ा जाए;

अगले 10 वर्षों में, कीटनाशकों और डिटर्जेंट जैसे सभी जहरीले उत्पादों और अन्य कई खतरनाक रसायनों या धातुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, और उन्हें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और सुरक्षित (मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए) विकल्पों से बदलना;

सभी जल निकायों की सफाई को उच्च प्राथमिकता दी जाए, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को समाप्त करें, और शोर को स्वीकार्य स्तर तक लाएं; आपातकालीन स्तर पर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए प्रयास हों जो एक वर्ष में दस लाख लोगों की मृत्यु का कारण है और जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है;

संविधान और कानून में वन्यजीवों सहित प्रकृति के अधिकारों पर समझ बने जहां संबंधित समुदायों और नागरिकों को प्राथमिक संरक्षक के रूप में रखने पर विचार हो;

शून्य अपशिष्ट बस्तियों को प्रोत्साहित करें और इनाम दें, साथ ही कचरा उत्सर्जन के मूल स्थान पर ही रोकथाम को उच्च प्राथमिकता (पारंपरिक या नए वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग करके जो पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित हैं) दें, विषाक्त अपशिष्ट पैदा करने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध, और जहां सामग्री पूर्ण उपयोग के बाद फ़ेंक दी जाती है, उसे पुनःउपयोगी और रूपांतरित कर या खाद बनाकर उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करें;

मानकों को निर्धारित करने, राज्य और अन्य एजेंसियों द्वारा अनुपालन की निगरानी करने और नागरिकों के लिए एक निवारण मंच प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग और सीएजी के समान स्वतंत्र संवैधानिक स्थिति वाले एक राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग की स्थापना.

सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय और राज्य बजट का कम से कम 5% उपरोक्त गतिविधियों के लिए समर्पित है.

बस्तियाँ

लाखों लोग शहरों में गंभीर रूप से अपर्याप्त आवास, अन्य सुविधाओं और कार्यस्थलों पर संकटमय स्थिति के साथ भयावह परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं. शहरीकरण की प्रक्रिया अपने आप में बेतरतीब और पारिस्थितिक रूप से अस्थिर रही है, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है जहां से संसाधन लिए जाते हैं और जहां शहरी कचरे को फेंका जाता है. कई गांवों में, सुविधा और साधन की कमी है. अर्ध-ग्रामीण, अर्ध-शहरी बस्तियों की एक अजीब 'मल के बीच गिरने' जैसी स्थिति है, जिनके पास ना तो वित्तीय संसाधन है और ना ही नियोजन की कोई व्यवस्था जो बड़े शहरी क्षेत्रों को उपलब्ध है, साथ ही ग्रामीण आत्मनिर्भरता की अब कोई संभावना भी नहीं दिखती है. इन चुनौतियों के संदर्भ में, आवश्यक है कि बेहतर, टिकाऊ, न्यायसंगत, उपयुक्त और सुलभ बस्तियों की दिशा में अनेक प्रेरणादायक पहल का निर्माण हो और समाधान निकले, जिस से:

74 वें संविधान संशोधन (ऊपर 'लोकतंत्र' देखें) के तहत उचित कानूनों और योजनाओं के साथ सभी शहरी नियोजन और बजट प्रक्रियाओं के लिए पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभाव का आकलन, और
क्षेत्र / वार्ड / पड़ोस की भागीदारी अनिवार्य हो;

शहर और शहर की योजना को ऐसे बदलें कि परिवारों के लिए काम, घर, खरीदारी और अवकाश की व्यवस्था आस-पास ही हो, जिस से आवश्यक गतिविधियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को कम किया जा सके;

टिकाऊ निर्माण, वास्तुकला और आवास जो सभी के लिए गरिमापूर्ण और सुलभ है, जिसमें स्थानीय सामग्री का अधिकतम उपयोग है, जिसके आकार पर अंकुश है, आसपास की प्राकृतिक भू-आकृतियों और परिदृश्यों का सम्मान है और समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए वाले वर्गों को प्राथमिकता है, को प्रोत्साहित करना और छूट का प्रावधान करना;

ऊर्जा के स्थानीय, वितरित उत्पादन, जल संचयन, उत्तरदायी उपयोग, और शहरी निवासियों की अन्य बुनियादी जरूरतों को बढ़ावा देना, लंबी दूरी के संचरण और शहरों के ग्रामीण क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना;

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, वृक्षारोपण सहित स्वदेशी वनस्पति को अधिकतम सीमा तक पहुँचाना और प्रवासन गलियारे प्रदान करके शहरी नियोजन में जैव विविधता को जोड़ना;

सभी ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक स्थितियों के लिए उपयुक्त पूर्ण बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना, जिसका आधार उपलब्ध स्थानीय कौशल, ज्ञान और संसाधन, और स्वशासन के सभी स्थानीय निकायों जिसमें जनसाधारण भी शामिल हो, द्वारा निर्णय लेने का सम्मान करना है.

सभी सार्वजनिक स्थानों की रक्षा हो, हर पास-पड़ोस और बस्ती के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनपर निजी उद्देश्यों के लिए अधिकार किया गया है, उन्हें फिर सर्वजन के लिए उपलब्ध कराया जाए. इसमें हरे भरे क्षेत्र, आर्द्रभूमि, पार्क, पहाड़ियां और इसी तरह के अन्य क्षेत्र शामिल हैं;

सभी बस्तियों को पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए अनुकूल, सुखद और सुरक्षित बनाएं.

परिवहन और गतिशीलता

हाल के दशकों में भारत के परिवहन और गतिशीलता तंत्र में काफी वृद्धि हुई है, फिर भी विषम प्राथमिकता (जैसे छोटे पैमाने पर गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों की अपेक्षा बड़े राजमार्गों को प्राथमिकता) और पारिस्थितिकी क्षति की गंभीर समस्याओं से पीड़ित होते हुए वे अपर्याप्त मालूम पड़ते हैं. गतिशीलता के स्थायी, न्यायसंगत तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल भी मौजूद हैं, और उपायों के लिए एक आधार हो सकता है:

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन (विशेष रूप से बसों) और गैर-मोटर चालित साधनों (साइकिल चलाना, चलना) को प्राथमिकता देने के साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन के स्थायी, सुलभ और न्यायसंगत साधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें; विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतिम स्थान तक परिवहन सुविधा सुनिश्चित हो;

निजी मोटर चालित वाहनों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल के लिए क्षेत्र/समय का सीमा निर्धारण और सड़क पर न्यूनतम स्थान आवंटन के साथ भारी कर का प्रावधान;

सुरक्षा और ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सड़क यातायात की गति सीमा स्थापित करना.

सीखना, शिक्षा और ज्ञान

जबकि शिक्षा और सीखने के अवसरों और सूचना और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, भारत को सीखने और शिक्षा में कई संकटों का सामना करना पड़ता है. इनमें शामिल हैं: अधिकांश गांवों और शहरों के गरीब वर्ग में अपर्याप्त और / या अनुचित प्रणालियां और सुविधाएं, विशेष रूप से समाज के हाशिए या विशेष आवश्यकता वाले वर्ग जैसे दलित, पशुपालक, आदिवासी, 'विकलांग' और महिला के संबंध में; भारत के अधिकांश हिस्सों में स्कूल और कॉलेज ऐसे स्थान हैं; भारत के अधिकांश हिस्सों में स्कूल और कॉलेज वास्तविक शिक्षा और समग्र मानव विकास के नहीं बल्कि सूचनाओं की सतही रटंत कला के स्थान हैं; ऐसे संस्थानों का वातावरण बहुत दमघोंटू है और यह छात्र को वर्तमान में हावी आर्थिक व्यवस्था को सिर्फ सबल बनाने के लिए तैयार करते हैं; ऊपर से नीचे तक की एक समान नीतियां जो स्थानीय परिवेश (मातृभाषाओं सहित) की विविधता और सीखने-सिखाने के नवाचारों का अनादर करती हैं; शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिवादी, स्वार्थी, शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धी मूल्यों का समावेश; आधुनिक, औपचारिक लोगों द्वारा पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान का दमन और क्षरण; और राष्ट्रीय दिशानिर्देश जिनमें स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक, गतिविधि-आधारित, दृष्टिकोण को अनिवार्य किया गया है के प्रगतिशील नीति निर्देशों का अपर्याप्त कार्यान्वयन. दूसरी ओर, अधिक सार्थक सीखने-सिखाने और शिक्षा, और लोकतांत्रिक पीढ़ी और कई ज्ञान के प्रसार के लिए समुदायों, नागरिक समाज और सरकारी संस्थानों द्वारा कई अभिनव पहल भी हैं. इस संदर्भ में, निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है:

सीखने-सिखाने और शिक्षा के लिए रिक्त स्थान और अवसर बनाने के लिए पहल को बढ़ावा देना जो जमीनी स्तर पर हों, और पर्यावरण और प्रकृति के साथ, समुदायों के साथ, अपने स्वयं के शरीर और दिमाग के साथ, और समग्र रूप से मानवता के साथ निरंतर या नवीनीकृत संबंध को सक्षम करते हैं;

सीखने के वातावरण बनाएं जो सामूहिक और व्यक्तिगत क्षमता और संबंधों की एक पूरी श्रृंखला का पोषण करते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी को रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता के रूप में मानते हैं, महत्वपूर्ण और समग्र सोच और कार्रवाई को प्रोत्साहित करते हैं;

औपचारिक प्रणालियों और अनौपचारिक समुदाय-आधारित शिक्षा, पारंपरिक और आधुनिक, स्थानीय और वैश्विक और सिद्धांत और व्यावहारिक के संयोजन के बीच तालमेल को प्रोत्साहित करना (उदाहरण के लिए नई तालीम दृष्टिकोण के मस्तिष्क-हृदय-हाथ);

विभिन्न सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक स्थितियों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त वैकल्पिक शिक्षा और शिक्षा दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को सक्षम करना, विशेष रूप से आदिवासी, चरवाहे, मछुआरे, पहाड़ी और अन्य ऐसे समुदायों के लिए जिनके पास दृष्टिकोण का समृद्ध इतिहास और विरासत है, लेकिन शहरी केंद्रों से निर्देशित समान केंद्रीयकृत प्रणालियों के क्रियान्वयन में पीछे हैं ; ऐसे विविध और समृद्ध दृष्टिकोण को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में मान्यता देकर सक्षम बनाना;

इस तरह के शिक्षण और शिक्षा को सुविधाजनक बनाने और निजी संस्थानों के सामने इन्हें प्राथमिकता देने के लिए राज्य सहित सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही के तंत्र का निर्माण करना;

रचनात्मक दृष्टिकोण की विविधता के साथ वयस्कों के लिए सीखने की अधिक जगह बनाएं;

कला, शिल्प, रंगमंच, नृत्य और अन्य विभिन्न संचार और शिक्षण विधियों के उपयोग की सुविधा;

उपरोक्त सभी के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रक्रियाओं को फिर से उन्मुख करना;

सीखने-सिखाने और शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% आवंटित करें;

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करें, जिस से न्यूनतम गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करते हुए सीखने-सिखाने में विविधता के नवीन वातावरण का फलना-फूलना संभव हो;

आधुनिक और पारंपरिक, वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक, औपचारिक और अनौपचारिक और ज्ञान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच न्यायसंगत साझेदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करें;

ज्ञान को निजी स्वामित्व या नियंत्रण की वस्तु के बजाय सार्वजनिक के अंतर्गत रखने की पहल को बढ़ावा देना, जिसमें खुले स्त्रोत, सार्वजनिक रचनात्मकता और ऐसी अन्य प्रणालियों को समर्थन देना शामिल है;

मौखिक ज्ञान वितरण और कथा वाचन जैसे पारंपरिक ज्ञान संचारण के विभिन्न रूपों के लिए सम्मान स्थापित करना.

मीडिया

निजी निगमों और राज्य द्वारा मीडिया (प्रिंट, डिजिटल, 'सोशल') का गला घोंटा जा रहा है, 'झूठी' और नकली खबरों का प्रसार हो रहा है, असंतोष की आवाज़ों को ट्रोल किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, और दमनकारी राज्य कार्रवाई सहित स्वतंत्र मीडिया को संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है. इस संदर्भ में, और कई अभिनव, लोकतांत्रिक मीडिया पहल के उद्भव से सीखते हुए, कदम उठाने की आवश्यकता है:

विभिन्न रूपों में स्वतंत्र मीडिया को सार्वजनिक समर्थन प्रदान करना, जिसमें टीवी, रेडियो और अन्य राज्य-प्रायोजित प्लेटफार्मों को सही अर्थों में स्वतंत्र बनाना शामिल है;

वैकल्पिक मीडिया के क्षेत्र में पहल की पहचान करना और उसे संभव बनाना, सक्षम और सशक्त जानकारी को सामने लाने के लिए मीडिया के अभिनव उपयोग हों और ऐसी प्रक्रिया के लिए पहल हो जो मीडिया (सार्वजनिक पहुंच के रूप में) को केवल एक विशेष पेशे के बजाय नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाती है;

ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जो आमतौर पर उपेक्षित, दूर या अलग-थलग पड़े स्थानों तक सूचना की पहुंच को मुफ्त या आसान (बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से) बनाए;

विज्ञापन को विनियमित करें जिससे यह सुनिश्चित हो कि यह भ्रामक, आपत्तिजनक और आक्रामक नहीं है, खासकर जो बच्चों के उद्देश्य से है; नागरिकों को ऐसे विज्ञापन के खिलाफ कानूनी और अन्य कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाना;

उन सभी कानूनों और नियमों को निरस्त या संशोधित करें जो सरकार द्वारा सूचना के विनियमन सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगाते हैं.

सरकारी प्रभाव से मुक्त मीडिया से संबंधित एक स्वतंत्र वैधानिक लाइसेंसिंग और नियामक प्राधिकरण की स्थापना;

जानबूझकर झूठे, भ्रामक और विकृत संदेशों, 'समाचारों' और विश्लेषणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जिनका उद्देश्य वैमनस्य, घृणा और संघर्ष पैदा करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस तरह की कार्रवाइयों का दुरुपयोग प्रत्येक भारतीय नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गोपनीयता के संरक्षण के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जाता है.

कानून, न्याय और सीमा शुल्क

संविधान की भावना और विकेंद्रीकरण के पत्र और कानूनों, नीतियों और न्यायपालिका प्रणालियों को अधिक सुलभ और सहभागी बनाने के वास्तविक लाभ होने के बावजूद, भारत में अभी भी कानूनों को तैयार करने और लागू करने वाली प्रणाली और न्यायिक तंत्र पूर्णतः केंद्रीकृत है, जो अक्सर समाज के हाशिए के वर्गों के लिए काम नहीं करता है और अनसुलझे, अनसुने मामलों के बोझ से कराह रहा है. विवादों को निष्पक्ष रूप से संभालने के प्रथागत या पारंपरिक तरीकों को भी कमजोर किया गया है जो अधिक सुलभ थे (हालांकि कभी-कभी दमनकारी या भेदभावपूर्ण भी होते हैं, और इसलिए सुधार की आवश्यकता होती है). कानूनों और रीति-रिवाजों के उल्लंघन से निपटने का प्रमुख तरीका दंडात्मक कार्यवाही है. इस तरीके में पूरा दोष व्यक्ति पर लगाया जाता है और इस तरह के व्यवहार में अंतर्निहित प्रणालीगत कारणों की उपेक्षा की जाती है. प्रचलन के विरुद्ध न्याय और कानून बनाने के लिए कई अभिनव दृष्टिकोण मौजूद हैं, जो चीजों को अलग तरह से करने के तरीके के बारे में समझ प्रदान करते हैं. इसमें निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है:

विकलांग व्यक्तियों की कानून के समक्ष समान मान्यता और समर्थित निर्णय को मान्यता.

कानूनों के निर्माण, शासन और कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सक्षम बनाना, जिसमें स्थानीय स्व-शासन के संस्थानों को ऐसी प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से हिस्सा बनाने के लिए सशक्त बनाना शामिल है;

यह सुनिश्चित करना कि सभी कानूनों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक भागीदारी एक मुख्य घटक है, और प्राधिकरण में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपायों को सक्षम करना जो उनके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या जानबूझकर कार्यान्वयन को अवरुद्ध करते हैं;

सामाजिक या आर्थिक हाशिए के कारणों से जिन लोगों की न्याय और निवारण के संस्थानों तक पहुंच नहीं है, उनकी पहुंच बनाना; जो अपने स्वयं के कानूनी खर्च नहीं उठा सकते हैं उन के लिए प्रभावी सार्वजनिक समर्थन को बनाना और बढ़ाना;

औपचारिक, वैधानिक कानून और सामाजिक मानदंडों और रीति-रिवाजों के बीच एक स्वस्थ संबंध की सुविधा प्रदान करना जिसके अंतर्गत न्याय, समता, निष्पक्षता और स्थिरता के हित में प्रत्येक दूसरे को सक्षम बनाए या जांचे; मानदंडों को जीवन के तरीकों (बचपन से शुरू) के रूप में व्यापक बनाने के प्रयासों में वृद्धि, न कि केवल औपचारिक नियमों / कानूनों के रूप में, जिन्हें ऊपर से लागू करने की आवश्यकता होती है;

'अपराध' या 'अवैध' के बारे में व्यापक दृष्टिकोण लेने के लिए कानूनी शासन में सुधार करें, जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना व्यक्तिगत (जैसे लिंग / यौन वरीयताओं) आधार पर 'अंतर' के बजाय 'दंडनीय' माना जाता है; और कारावास जैसे दंड के पारंपरिक रूप के स्थान पर निवारण, पुनर्वास और व्यवहार परिवर्तन के उपायों को प्राथमिकता देना;

मौत की सज़ा को खत्म करना;

न्याय, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधार या उपाय लाते हुए विकेंद्रीकृत अदालतों और पंचायतों, पारंपरिक विवाद समाधान तंत्र, लोकपाल, और ऐसे अन्य नवाचार सहित मानदंडों और कानूनों के उल्लंघन से निपटने में अधिक सामुदायिक भागीदारी को सक्षम करना.

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 को निरस्त करें; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईपीसी के तहत राजद्रोह खंड, और इसी तरह के अन्य कानून और कानूनी प्रावधान, जिनका दुरुपयोग संविधान की भावना के खिलाफ, और निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ, व्यक्तियों को निवारक रूप से हिरासत में लेने के लिए किया जाता है; सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह के कोई कानून लागू न हों.

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करना, राजनीतिक लाभ के लिए उनके दुरुपयोग को रोकना.

वैश्विक संबंध

कई मोर्चों पर ध्रुवीकृत विश्व, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और विश्व के जनसाधारण के उत्पीड़न से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ की मिश्रित भूमिका के संदर्भ में भारत ने जो अपने वैश्विक संबंधों में परंपरागत रूप से गुटनिरपेक्ष, उत्पीड़ित और स्वतंत्रता-समर्थक भूमिकाओं को अपनाया था, उसमें एक स्पष्ट गिरावट दिखाई देती है. फिर भी, भारत आज भी अक्सर एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष दुनिया के आदर्शों पर जोर देता है जहां मानवाधिकारों और पारिस्थितिक स्थिरता को बरकरार रखा जाए. इस संदर्भ में, कदम उठाने होंगे;

शत्रुतापूर्ण प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित आक्रामक और अति-प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रचलित स्थिति के विकल्प प्रदान करने वाली राज्य, स्वयं-सेवी संगठन, नागरिक या बहु-पक्षीय पहल को प्रोत्साहित करना और सुविधा देना;

अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक संबंधों में मानवाधिकारों, पारिस्थितिकी, सामाजिक-सांस्कृतिक और अन्य मूल्यों को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से जोर देना, जिसमें इन मुद्दों पर कई संयुक्त राष्ट्र समझौतों का मजबूत कार्यान्वयन शामिल है;

कूटनीति के जनादेश के रूप में संकीर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय श्रेष्ठता जैसी धारणाओं के बजाय सामूहिक मानव कल्याण के लिए एक दृष्टिकोण का समर्थन करें;

उत्तरी/औद्योगिक देशों द्वारा दुनिया की तबाही (जलवायु और वैश्विक जनमानस सहित) के लिए उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर आवाज़ उठाएं, जिनमें औपनिवेशिक शक्तियां भी शामिल हैं, और उनके द्वारा हुए पारिस्थितिकी और आर्थिक नुकसान के लिए उचित निवारण और क्षतिपूर्ति की मांग करें, जिसमें पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति का वित्तपोषण शामिल हो.

सैन्य, निगरानी और पुलिस खर्च में वृद्धि पर वैश्विक रोक की मांग करें और इन पर खर्च धीरे-धीरे कम किया जाए, हथियारों के व्यापार पर वैश्विक प्रतिबंध हो, और अंततः सभी राष्ट्र द्वारा हर प्रकार के हथियारों को नष्ट करें;

'राष्ट्र-राज्य' की धारणाओं को फिर से परिभाषित करने और दुनिया के 'लोगों' के बीच संबंधों पर ज़ोर देने के लिए व्यापक वैश्विक वार्ता में शामिल होना, जिसमें गैर-राज्य समूहों और समुदायों को केंद्रीय अधिकार प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन शामिल है;

पर्यावरण पर वैश्विक समझौतों के लिए प्रयास करना और विशेष रूप से जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों पर तत्काल कार्रवाई के लिए जोर देना, जिसमें उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रतिबंध या अन्य प्रभावी साधन शामिल हैं;

वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों और श्रम, पर्यावरण / पारिस्थितिकी और मानवाधिकारों पर समझौतों के अनुपालन में विश्व व्यापार संगठन जैसे प्रासंगिक संस्थानों सहित वैश्विक व्यापार को विनियमित करने पर जोर दें; सुनिश्चित करें कि इस तरह के व्यापार को कभी भी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को कमजोर करने या अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकी क्षति का कारण बनने की अनुमति नहीं है.

भाग 4: युवाओं की मज़बूत भागीदारी का एक विशेष दृष्टिकोण

युवाओं की स्व-से-समाज की यात्रा के माध्यम से उनके सीखने और नेतृत्व क्षमता का पोषण करने वाले 'समर्थ स्थानों' को प्रोत्साहित करना, समर्थन करना और सह-निर्माण करना. इनमें विभिन्न और अनन्य पहचान वाले युवाओं द्वारा सह-नेतृत्व के आलोचना रहित स्थान शामिल हों जहां युवा सामाजिक न्याय, विचार शील प्रतिक्रिया, सहज नवीनीकरण, प्रेम, सीखने, स्वतंत्रता, स्वामित्व, सहयोग और सहभागिता और सामाजिक उम्मीद के सिद्धांतों पर काम करते हैं और प्रेरित करते हैं. इन स्थानों पर युवाओं को विभिन्न रचनात्मक क्रियाशील कार्यक्रमों में खुद को संलग्न करने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए, जिसमें शारीरिक श्रम वाले युवा भी शामिल हों. ये उन्हें खुद से और उनकी स्वयं की विश्वदृष्टि से जुड़ने में मदद करेंगे, और उन्हें ऊर्जा और वैचारिक स्तर पर फिर से भर देंगे;

युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त बनाने की प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर युवाओं के नेतृत्व वाले, युवा-केंद्रित संगठनों और सशक्तिकरण केंद्रों को बढ़ावा देना और पोषित करना ; विभिन्न मीडिया में एक मौलिक परिवर्तनकारी युवा दृष्टि के सह-निर्माण, कार्यान्वयन और अभिव्यक्ति को सक्षम करना;

सभी कानूनों, नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने में विशेष रूप से कमजोर समुदायों से व्यापक युवा भागीदारी सुनिश्चित करना; उन्हें अनिवार्य रूप से सभी प्रासंगिक समितियों में शामिल किया जाना चाहिए;

एनएसएस और एनवाईकेएस जैसी सरकारी योजनाओं में युवा नेतृत्व और युवा केंद्रित संगठनों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना ताकि चल रही स्वयंसेवी प्रक्रियाओं के साथ-साथ युवा लोगों के जीवन कौशल और मुख्य क्षमताओं को बढ़ाया जा सके;

वित्तपोषण, परामर्श जैसे संसाधनों तक आसान पहुंच के माध्यम से आजीविका और रोजगार के अवसर प्रदान करना और उद्यमिता और सार्थक रोज़गार के लिए क्षमताओं के निर्माण या वृद्धि के लिए प्रयास; विशेष रूप से, पारिस्थितिक उत्थान और संरक्षण, सामाजिक न्याय, बुनियादी आवश्यक सेवाओं और उत्पादों, सहकारी और सामूहिक आर्थिक गतिविधि से जुड़े वैकल्पिक आजीविका विकल्पों को बढ़ावा देना;

असुरक्षित युवाओं के लिए विशेष सहयोग और आश्रय (पहले से उपलब्ध योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन सहित) की व्यवस्था, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों वाले और बहुजन समाज से आने वाले युवा. आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, एलजीबीटीक्यूआई और अन्य हाशिए के युवा, विशेष रूप से उनकी युवा महिलाएं; सुनिश्चित करें कि ऐसे युवाओं के लिए सीखने के स्थान सुरक्षित हैं;

बस्तियों के प्रत्येक समूह के लिए युवा सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करें, जो परामर्श, खेल, मनोरंजन सुविधाएं और वैकल्पिक आजीविका पर केंद्रित जीविका के लिए मार्गदर्शन सुविधाएं प्रदान करते हैं;

राष्ट्रीय युवा नीति और राज्य युवा नीतियों में किए गए वादों का सम्मान करें, जिसमें विभिन्न स्तरों पर युवा सलाहकार परिषदों और युवा आयोगों की स्थापना शामिल है ताकि प्रतिबद्धताओं की प्रगति की रिपोर्ट और निगरानी की जा सके. जहां कोई नीति नहीं है वहां राज्य युवा नीतियों को तैयार करना;

युवाओं से संबंधित नीतियों के मार्गदर्शन और कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक युवा आयोग की स्थापना;

राष्ट्रीय, दक्षिण एशियाई और वैश्विक विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो युवाओं को अपने क्षितिज और दृष्टि का विस्तार करने और विभिन्न मुद्दों पर इस घोषणा पत्र में परिलक्षित होने वाली आम चिंताओं के लिए एकजुटता के निर्माण की अनुमति देता है.